रजिस्ट्री सं. डी.-(डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 460] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 1985/आश्विन 24, 1907
No. 460] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 1985/ASVINA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 अक्तूबर, 1985

सं 220/85-केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

सा का नि 796 (अ) — केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले, और रक्षा मंत्रालय के अधीन स्काईलार्क परियोजना को प्रदान करने के लिए निकासी किए गए, सभी माल को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है

परन्तु यह तब जब उक्त माल की निकासी करने के पूर्व स्काईलार्क परियोजना के परियोजना निदेशक का इस आशय का प्रमाणपत्र कि उक्त माल उक्त स्काईलार्क परियोजना के अधीन नौसैनिक भी एल एफ परियोजना परेषण स्टेशन (तमिलनाडु) के संयोजन, स्थापन और प्रतिष्ठापन के लिए आशयित है, समुचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

[सं. 220/85-सीई/एफ सं. 13/42/85-सी एक्स 1]

एस. सी. जाना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 1985

NO. 220|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts all goods, falling under the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), cleared for supply to the Project Skylark under the Ministry of Defence, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that before clearance of the said goods, a certificate from the project Director, Project SKYLARK, to the effect that such goods are intended for assembly, erection and installation of Naval VLF Transmitting Station (Tamil Nadu) under the said Project SKYLARK is produced to the proper officer.

[No. 220|85-CE|F. No. 13|42|85-CX.I]

S. C. JANA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985